Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1338/2018/भीलवाडा राजू बनाम देवीलाल वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री द्वारका लाल मीणा, सदस्य

उपस्थित– श्री राघवेन्द्रसिंह, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री भींयाराम चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय
दिनांकः– 02–04–2018

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–2–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

आलोच्य आदेशानुसार अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सीपीसी को स्वीकार किया गया है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी।

प्रार्थी/प्रतिवादी के अधिवक्ता ने निगरानी मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि आक्षेपित आदेश विधि के प्रावधानों के विपरीत है। आगे बताया कि आक्षेपित आदेश से एक पक्ष विशेष अपनी साक्ष्य एकत्रित करने का प्रयास करेगा। उन्होंने आक्षेपित आदेश को अकारण तथा अस्पष्ट होना कहा है। उनका तर्क है कि न्यायालय किसी एक पक्षकार के पक्ष में साक्ष्य एकत्रित करने के लिए मौका कमीश्नर नियुक्त नहीं कर सकती है तथा यदि ऐसा किया जाता है तो वह विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अन्त में उन्होंने निगरानी स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–2–2018 को निरस्त करने का निवेदन किया।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण/वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश को न्यायसंगत, तर्कसंगत तथा विधि सम्मत होना कहा है। आगे बताया कि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1338/2018/भीलवाडा राजू बनाम देवीलाल वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विवादित भूमि पर कब्जा वादी का है जिससे न्यायालय के समक्ष इस तथ्य को सिद्ध कराना आवश्यक है। उनका तर्क है कि प्रकरण की परिस्थिति के मद्देनजर मामले में कमीश्नर नियुक्त कराया जाकर रिपोर्ट मंगाया जाना न्यायोचित है। उक्त तथ्यात्मक परिवेश में आक्षेपित आदेश अहस्तक्षेपनीय है। अन्त में उन्होंने निगरानी को खारिज कर आक्षेपित आदेश को यथावत रखे जाने का निवेदन किया। हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया। हमने आक्षेपित आदेश का विधिक दृष्टिकोण से परीक्षण किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बहुत ही सरसरी तौर पर बिना समुचित आधार एवं विस्तृत कारण अंकित करते हुए अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 26 नियम 9 सीपीसी को स्वीकार किया है। उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के उन तथ्यात्मक एवं विधिक प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया है जिस पर उक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय आधारित है। अतः अप्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने से पूर्व यह स्पष्ट करना होगा कि उपरोक्त धाराओं के प्रावधानातंर्गत विचाराधीन प्रार्थना पत्र के अभिवचनों में ऐसा कोई तथ्यात्मक एवं विधिक सारवान तत्व विद्यमान है अथवा नहीं। तात्पर्य यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर स्पष्ट (Speaking) एवं सकारण (Reasoned) आदेश पारित नहीं किया है। मौके का अन्वेक्षण करवाये बिना भी इस प्रकरण में विवाद के बिन्दुओं का सही रूप से निस्तारण पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर किया जा सकता है। मौके की रिपोर्ट के आधार पर कब्जे के बिन्दु का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। मौका	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1338/2018/भीलवाडा राजू बनाम देवीलाल वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कमीश्नर नियुक्ति प्रार्थना पत्र में किए गए अंकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण विवादित भूमि पर अपने कब्जे काश्त को प्रमाणित करने के उद्देश्य से कमीश्नर नियुक्त करवाने चाहते हैं। निगरानी मीमो में साक्ष्य एकत्रित करने के उद्देश्य को विधि विरूद्ध अंकित किया है, जिससे हम प्रथम दृष्टया सहमत है। न्यायालय के लिए दोनों पक्ष समान है, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर प्रकरण का निस्तारण होना समीचीन है। कब्जा सम्बन्धी मौका रिपोर्ट पक्ष विशेष के हक में कब्जा प्रमाणित करने के लिए कमीश्नर की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। अतः हमारी सुविचारित राय में प्रस्तुत निगरानी में सारवान तत्व विद्यमान होने के कारण स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत होती है। परिणामतः प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–2–2018 खारिज किया जाता है। उभयपक्ष को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आगामी तिथि दिनांक 16–04–2018 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(द्वारका लाल मीणा)** **सदस्य**	